

AKI INDIA LIMITED

(CIN: L19201UP1994PLC016467)

Reg. Off.: D-115, Defence Colony Jajmau, Shiwans Tanney, Kanpur Nagar, Jajmau,
Uttar Pradesh – 208 010

Email Id.: info@groupaki.com, **Website:** www.groupaki.com

Contact No.: +91 512 2463150 / +91 512 2460866

Date: 3rd September, 2026

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange India Limited
“Exchange Plaza”, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400 051

Dear Sir / Ma’am,

**Subject: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of AGM,
Book Closure & E-voting**

Ref: Security Id: AKI/ Code: 542020 / Series: EQ

We hereby enclose herewith copies of the public notice of the 32nd Annual General Meeting (“AGM”) of the Company and Information on Book Closure and E-voting, published on 3rd September, 2026 in the following newspapers:

1. English Newspaper – The Financial Express Newspaper and
2. Regional Language Newspaper (Hindi) – The Pioneer Newspaper

Kindly take the same on your record and oblige us.

Thanking You,

For, AKI India Limited

Mohammad Ajwad
Managing Director
DIN: 07902475

पायनियर

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 3 सितंबर 2026

आरओ/एआरओ पेपर लीक मामले: वांछित पुष्कर गिरफ्तार

- नन्दू गैंग से जुड़े अनुराग मिश्रा को भी एसटीएफ ने दबोचा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरओ, एआरओ परीक्षा पेपर लोक मामले में दो साल से अधिक समय से फरार चल रहा वांछित अभियुक्त पुष्कर पाण्डेय को गिरफ्तार किया है। उसके साथ कपिल सांगवान उर्फ नन्दू गैंग से कथित रूप से जुड़े और दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल हत्याकांड में वांछित अनुराग मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह ने बताया कि

डिवाइडर से टकराकर होटल मैनेजर की मौत

लखनऊ। अशियाना थाना क्षेत्र के पॉवर हाउस चौराहे के सामने बुधवार सुबह एक युवक सड़क पर मरणासन्न अवस्था में मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से युवक को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अशियाना इस्पेक्टर गजेन्द्र कुमार राय ने बताया कि सोमवार सुबह करीब सात बजे राहगीरों द्वारा सूचना मिला कि एक युवक मरणासन्न अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान उमरा गांव टांड जिला जयपुर राजस्थान के रूप में मृतक के भाई मोहन सिंह ने किया है। मृतक लखनऊ में रहकर एक निजी होटल वीनस में मैनेजर के पद पर कार्यरत था मृतक के भाई के अनुसार मृतक होटल के पास में ही सवैट क्लरेंट में रहता था।

पायनियर
वर्गीकृत

सूचना

मैं, चार्ल्स कॉलिन विग्रेस, पुत्र स्व. कॉलिन विग्रेस, निवासी मकान नं. 5, बी एन घई लेन, लालबाग, लखनऊ- 226001, घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम डायना एम एम विग्रेस गलत अंकित है। हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार उसका सही नाम डायना मैरी मैक्सि विग्रेस है। भविष्य में वह इसी सही नाम से जानी जाएगी।

सूचना

मेरे बेटे स्व शैलेन्द्र कुमार 15434274-एक्स हवलदार के अधिलेखों में मेरा नाम भूलवश “पुष्पा पांडे” दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही एवं वास्तविक नाम “पुष्पा देवी” है। भविष्य में सभी अधिलेखों में मेरा नाम पुष्पा देवी पत्नी श्री राजेंद्र कुमार के रूप में ही अंकित किया जाए। पुष्पा देवी पत्नी श्री राजेंद्र कुमार पता: ग्राम दांढामऊ, बीधापुर, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड पर मेरा नाम विनय कुमार महावर (Vinay Kumar Mahawar) दर्ज है जबकि मुझे विनय महावर (Vinay Mahawar) के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है। विनय कुमार महावर (Vinay Kumar Mahawar) और विनय महावर (Vinay Mahawar) दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है जो कि मेरे हैं। विनय कुमार महावर पुत्र हरिओम महावर निवासी - 334 विजय लक्ष्मी नगर,तहसील व जिला-सीतापुर

सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं राजेश्वरी देवी पत्नी स्वर्गीय मनीराम, निवासी राय पैदासपुर लगुवा, लखीमपुर खीरी, की पहचान संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम “राजेश्वरी देवी” दर्ज है। मेरे स्वर्गीय पति मनीराम की जीवन बीमा पॉलिसी संख्या 18288 में मेरी पत्नी/नामिनी के रूप में “गीता देवी” नाम दर्ज है। उक्त “गीता देवी” एवं “राजेश्वरी देवी” दोनों नाम एक ही महिला अर्थात मेरी ही पहचान के हैं। दोनों नामों से किसी अलग-अलग व्यक्ति का अभिप्राय नहीं है। राजेश्वरी देवी पत्नी-स्वर्गीय मनीराम निवासी-ग्राम रैदासपुर लगुवा, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।



अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान कब्जे से एक फॉर्च्यूनर कार (यूपी 70 एचजे 9672), 2,500 रुपए नकद, तीन मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है। जहां एसटीएफ ने मंगलवार को विभूतिखंड थाना क्षेत्र में आरटीआई भवन के पास घेराबंदी कर दोनो अभियुक्तों कि गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुष्कर पाण्डेय प्रयागराज के सिविल लाईंस थाने में वांछित था। उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी, अपराधिक साजिश और

पेड़ से लटका मिला युवती का शव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जानकीपुरम थाना क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी), सीतापुर रोड जानकीपुरम के परिसर से लगे जंगल में बुधवार दोपहर संधिग्ध परिस्थितियों में निम के पेड़ से दुपट्टे के सहारे युवती का शव लटका मिला। युवती की उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है। शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। दर शाम तक युवती की पहचान नहीं हो सकी थी। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे साप्ताहिक बाजार में सब्जी की दुकान लगाने वाले दीन मोहम्मद जंगल के पास दुकान लगा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ों की आड़ में लटके शव पर पड़ी। युवती में कोई हकत न देख उन्होंने संस्थान के गार्ड को सूचना दी। गार्ड ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना



मिलते ही एडीसीपी नॉर्थ नवीन कुमार सिंह, एसपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा इस्पेक्टर मडियांव शिवानंद मिश्रा और इस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। जानकीपुरम थाना प्रभारी विनोद कुमार तिवारी के मुताबिक, युवती ने काला टॉप और काला लोअर पहन रखा था। शव दो दिन पुराना लग रहा है शव के पास उसकी चप्पल और मोबाइल फोन भी मिला है। जंगल संस्थान के पिछले गेट से लगा हुआ है और परिसर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका

डेंगू मच्छरों के खतरे के प्रति जागरूकता



जागरूकता बढ़ाने और दैनिक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा।यह पहल मच्छर जनित बीमारियों को रोकथाम को लेकर जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सुरक्षा संबंधी उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में ओडोर्मांस के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। उपभोक्ता शिक्षा और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ब्रांड का उद्देश्य परिवारों को डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर

युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के पुरसेनी रेलवे क्रॉसिंग के पास बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पर हत्या के मुकदमे में आरोपी सचिन कश्यप (24) निवासी गोपालखेड़ा का शव-विक्षत शव पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। पिता रामखेलावन ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले पड़ोसी युवक अमन की हत्या के मामले में सचिन आरोपी था और जेल भी गया था। वह एक कंपनी में डिलीवरी बॉय काम करता था। हत्या के मुकदमे को लेकर वह काफी परेशान चल रहा था। मंगलवार शाम घर आने के बाद वह पैदल निकला था, लेकिन वापस

कमरे में मिला अधेड़ का शव

लखनऊ। आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया चौकी अंतर्गत स्थित एक मकान से दुर्घट आता देख स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस अंदर से बंद दरवाजे को तोड़ अंदर घुसी और मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला साक्ष्य संकलन करा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया मोहल्ले में अंदर से बंद एक मकान से दुर्घट आता देख स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय आलमबाग पुलिस व चौकी इंचार्ज मवैया अंदर से बंद कमरे का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे और साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि कमरे में मिला शव पेशे से मजदूर राजू (40) का है, जो कि बीते 10 वर्षों से अकेले ही किएए पर रहता था।

- अब तक 32 गिरफ्तार**
- एसटीएफ ने बताया कि आरओ/एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले की विवेचना निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, एसटीएफ लखनऊ द्वारा की जा रही है। इस मामले में अब तक कुल 32 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

साक्ष्य मिटाने सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं पूछताछ में पुष्कर ने कथित तौर पर आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 के पेपर लोक में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी दी। एसटीएफ के मुताबिक उसने बताया कि भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस

से पेपर आउट होने के बाद प्रयागराज के नैनी स्थित एक अस्पताल में अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। वहां करीब 30 से 40 अभ्यर्थियों को कथित तौर पर आउट पेपर के उत्तर पढ़ाए गए। इसके अलावा पुष्कर ने यह भी बताया कि इस काम के बदले उसे पांच लाख रुपए देने का वादा किया गया था। जिसमें से तीन लाख रुपए नकद दिए गए। पूछताछ में उसने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लोक से जुड़े एक अन्य मामले में भी अपनी भूमिका होने की बात बताई और करीब 500-600 अभ्यर्थियों को कथित रूप से आउट पेपर पढ़ाए जाने की जानकारी दी। एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार अनुराग मिश्रा दिल्ली के पश्चिम विहार थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 अप्रैल में हुए प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार दलाल

हत्याकांड में वांछित था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में लंदन में फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नन्दु पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पूछताछ में अनुराग ने कथित तौर पर बताया कि उसका भाई आकाश मिश्रा भी इस हत्याकांड के मामले में जेल में बंद है। एसटीएफ का दावा है कि आकाश और अनुराग ने श्ट्रों को ठहराने, हथियार और धन उपलब्ध कराने तथा उन्हें विदेश भेजने की कोशिश में भूमिका निभाई थी। गिरफ्तारी के बाद पुष्कर पाण्डेय को प्रयागराज के सिविल लाईंस थाने में दर्ज मुकदमे में नियमानुसार दाखिल कर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जबकि अनुराग मिश्रा को दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

सूचना
आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूजा अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल की पत्नी, बी-987, महानगर, लखनऊ की निवासी हूँ। मेरी मूल भूमि विलेख से संबंधित दस्तावेज इंदिरा नहर और तिवारीगंज के बीच के रस्ते में कहीं खो गए हैं। मेरा कार्यालय श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सैंड मैनेजमेंट, तिवारीगंज, अयोध्या रोड, लखनऊ में स्थित है। उपरोक्त दस्तावेजों में मूल भूमि विलेख शामिल था, जिसका विवरण इस प्रकार है: क्षेत्रफल 0.1536 हेक्टेयर, गाटा/खसरा संख्या 320 और 321, विक्रेता श्री बेरि सिंह, क्रेता अजय सिंह और सुमन सिंह, बही संख्या 1, खंड संख्या 4609, पृष्ठ संख्या 321 से 340, क्रमांक संख्या 8511, दिनांक 18/10/2004 है। यह वास्तव में खो गया है, और मैंने स्वयं व्यापक खोज की, लेकिन मुझे यह नहीं मिला। उपरोक्त मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जा सके। जिसकी तपेदिक तिवारीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज है। जिसका LAR नंबर 202600030890807 है। भविष्य में इन दस्तावेजों का दुरुपयोग अवैध माना जाएगा, और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

सार्वजनिक सूचना
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फार्मेशनियल सर्विसेज लि॰, लखनऊ के निदेश के तहत, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मयंक सेठ पुत्र स्व॰ गोपाल दास सेठ व श्रीमती पूजा सेठ पत्नी मान्य सेठ, जो कि वाणिज्यिक पर्सिअर / दुकान, चवर्थ ब्लॉक-415-416, रकबा 1338 बर्गफीट, स्थित- श्रीराम टावर, अशोक मार्ग, अजरलंग, लखनऊ के पूर्णतया स्वामिण हैं। उपरोक्त सम्पत्ति को सफलता अपने पिता स्व॰ गोपाल दास सेठ के मृत्योपरान्त प्राप्त किया है तथा स्व॰ गोपाल दास सेठ को न्यायालय समितित जज (एस.डी.) लखनऊ द्वारा ग्युलर सूट नं॰ 53/76, गोपाल दास सेठ मान्य परमेस्वर दास सेठ व अन्य मे पारित निर्णय एवं डििकी दिनांक 01.11.1976 के आधार पर प्राप्त हुई थी। जैसा कि सिव्हाय इंस्टीट्यूट्स द्वारा सिव्हाय गुप्ता उपरोक्त सम्पत्ति को कब्ज करने के स्वयं मे महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फार्मेशनियल सर्विसेज लि॰, लखनऊ से कब्जा लेना चाहते हैं। अतः, किसी भी व्यक्ति को इस सम्पत्ति में किसी भी पूर्व अधिकार या व्याज का दावा करने या किसी भी तरह से दावा करने या किसी व्यक्ति / बैंक / निगम / विनियुक्त को उपरोक्त सम्पत्ति के एवज में ऋण उठाना है तो सार्वजनिक सूचना की तराह से 7 दिनों के भीतर लिखित आपाई दे सकता है। इस सम्बन्ध मे नोटिस दे सकता है। इस नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद, किसी भी तरह पर विचार नहीं किया जाएगा और इस तरह के दावे का कानून की नजर में कोई मूल्य नहीं होगा, यह भी माना जाएगा कि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फार्मेशनियल सर्विसेज लि॰, लखनऊ के साथ उपरोक्त सम्पत्ति को गिरवी रखने के लिए किसी को कोई आपाई नहीं है।
विशेष श्रीलास (एक्सेप्टेड) कार्यालय/निवासी- 3/40, बासु खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोन: 9839485155

न्यायालय सूचना
न्यायालय श्रीमान किनवा प्राधिकात्री / अपर जिलाधिकारी न्यायिक महोदय सीतापुर वाद सं. - D2261064001302/2026 तारीख पेशी 1.09.2026 श्रीमती रेनु अग्रवाल पत्नी श्री राजीव अग्रवाल निवासी मोरून्ला नं० बस्ती सीतापुर पररना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुरयादिनी / आवेदक ब्रजाम 1. श्रीमती सरोज भार्गव पत्नी स्व॰ राजन लाल 2. कुमारी मीना भार्गव पुत्री स्व॰ राजन लाल 3. मनोज कुमार पुत्र स्व॰ अशोक लाल सर्वनिबंधीगण अंश भाग न्याय मकान सं॰ 29 मोरून्ला नं० बस्ती खैराा सीतापुर पररना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुरविश्वक्षीणग सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यादिनी ने बाबू बालदेव बेटखानी धारा 21 (2) (ए) उ.प. नगरीय पर्सिअर क्रियाविदारी विनियमन अधिनियम 2021 का विच्छेदण के विरुद्ध वाचन बेटखानी क्रियाविदारी का यांचित किया है यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपाई तो तो वह निम्न दिनांक 14/09/2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर हो अन्यथा उक्त वाद को निस्तरण एक पक्षीय रूप से कर दिया जावेगा। आह: मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज दिनांक 01/09/2026 के दिवस को जारी किया गया। न्यायालय की आज्ञा से

कार्यालय ग्राम पंचायत बाहापुर, विकास खण्ड-अमेठी, जनपद-अमेठी

पत्रांक : मेमो/अन्येष्टि स्थल निर्माण/2026-27

दिनांक : 02/09/2026

टेण्डर/निविदा/कोटेशन हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बाहापुर वि०ख० अमेठी, जनपद अमेठी में अत्येष्टि स्थल निर्माण कसवा जाना प्रस्तावित है। जिसके क्रम में ग्राम पंचायत बाहापुर द्वारा निविदा आमंत्रित है। कार्य निम्नवत है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आपूर्ति सामग्री
1.	अन्येष्टि स्थल निर्माण बाहापुर	अन्येष्टि स्थलों का विकास	ग्राम पंचायत बाहापुर	ईट, ईट गिट्टी, सीमेण्ट मोरंग, सरिया, टीना, चूदर पलंबरिंग, टाइल्स, हैण्डपम्प मिट्टी व्हाइट सीमेण्ट, खिड़की, दरवाजा, एंगल, बिजली एवं प्राक् कलन के अनुसार सामग्री इत्यादि।

उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन के आधार पर सामग्री हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता फर्मों से निविदा कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रपत्र ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा कोटेशन दिनांक 03.09.2026 से दिनांक 07.09.2026 तक दोपहर 2 बजे तक जमा की जा सकती है। दिनांक 07.09.2026 को ही सायं 4 बजे तक ग्राम पंचायत कार्यालय बाहापुर में गठित कमेटी के समक्ष खोला जायेगा। निविदा कोटेशन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत बाहापुर में अन्येष्टि स्थल बाहापुर में स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार होगी। आवेदन शुल्क प्रति फर्म 500.00 रुपया जो कि ग्राम पंचायत के खाते में जमा होगी।

सचिव
हेमन्त कुमार पाण्डेय
ग्राम पंचायत बाहापुर
वि०ख०-अमेठी जनपद-अमेठी

ग्राम प्रशासक
श्रीमती सुनीता पाठक
ग्राम पंचायत बाहापुर
वि०ख०-अमेठी जनपद-अमेठी

डिप्रेशन का इलाज करा रही विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गुडम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के खत्री इलाके में मंगलवार देर रात 28 वर्षीय विवाहिता ने पंखे के सहारे दुपट्टे से फंदा लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान शिखा श्रीवास्तव पत्नी अंकित श्रीवास्तव के रूप में हुई है। घटना रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि घटना के समय शिखा का पति अंकित दूसरे

कमरे में अपनी सास से बातचीत कर रहा था।

इसी दौरान कमरे से आवाज सुनाई देने पर दोनों वहां पहुंचे। शिखा को पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका देखकर परिजनों ने चाकू से फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। इसके बाद आनन-फानन में उसे रिग रोड स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक शिखा पिछले कुछ समय से डिप्रेशन का इलाज करा रही थी। हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया

है। शिखा की तीन साल की बेटी है। पति अंकित एक डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं।

घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। गुडम्बा थाना प्रभारी अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला के फंदा लगाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

AKI INDIA LIMITED
CIN: L19201UP1994PLC016467
Registered Office: D-115, Defence Colony Jajmau, ShiwansTanney, Kanpur Nagar, Jajmau, Uttar Pradesh – 208 010
Phone: +91 512 2463150 / +91 512 2460866 Email: info@groupaki.com
Notice of the 32 nd Annual General Meeting of the Company, Book Closure and E-voting
Notice is hereby given that:
1. The 32 nd Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 23 rd September, 2026 at 02:30 P.M. through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Visual Means (“OAVM”) to transact the ordinary and special businesses as set out in the notice of AGM.
2. As per SEBI Circular dated 12 th May, 2020, Physical Copy of the Annual Report for the 32 nd AGM inter-alia is not required to be sent; therefore, Annual Report is being sent only through electronic mode to those Members as on 28 th August, 2026, whose email addresses are registered with the Company / Depositories. Members whose E-mail id is not registered / updated can register / update their e-mail address.
3. The Notice of 32 nd AGM and Annual Report for Financial Year 2025-26 will also be made available on the website of stock exchange i.e. BSE Limited (“BSE”) at www.bseindia.com and Nation Stock Exchange of India Limited (“NSE”) at www.nseindia.com.
4. Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and as per Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Wednesday, 16 th September, 2026 to Wednesday, 23 rd September, 2026 (both days inclusive) for purpose of 32 nd Annual General Meeting.
5. As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and clause 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM (remote E-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited as the E-voting agency. All the members are informed that:
A. The Ordinary Businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
B. The remote e-voting shall commence on 20 th September, 2026at 09:00 A.M.& shall end on 22 nd September, 2026 at 05:00 P.M.
C. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is Wednesday,16 th September, 2026.
D. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, 16 th September, 2026, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
E. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) E-voting facility shall be available after AGM for those who have not voted; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting,
6. The Company has appointed M/s.Jitendra Parmar & Associates, Company Secretaries, Ahmedabad, as the Scrutinizer to scrutinise the E-voting process in fair and transparent manner.
7. Any Query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to the Company Secretary of the Company at E-mail info@groupaki.com or you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 for any further clarification.
For, AKI India Limited Sd/- Mohammad Ajjad Managing Director DIN: 07902475

कार्यालय ग्राम पंचायत-उमरी विकास खण्ड-मुस्करा (हमीरपुर)						
पत्रांक : मेमो/निविदा प्रकाशन/मु0म0 पंचा0ग्र0मु0योज0/वित/2026-27					दिनांक : 02.09.26	
अल्पकालीन निविदा/टेण्डर प्रकाशन/सूचना						
ग्राम पंचायत उमरी में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनातर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोगार्थ सामग्री आपूर्ति हेतु, ग्रा0अ0र0/लो0नि0वि0/सि0वि0/आयकर/व्यापार कर/ग्राम पंचायत/विकास खण्ड/जिला पंचायत में पंजीकृत फर्मों/सप्लायरों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्यालय से कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे में सायं 05:00 बजे तक दिनांक 03.09.2026 से 10.09.26 तक निविदा मूल्य (कालम सं0 06 में दर्शाये गये) देकर प्राप्त की जा सकती है। उक्त निविदायें दिनांक 11.09.2026 को 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा ग्राम पंचायत अथवा समिति के समक्ष खोले जायेंगे। कार्यालय अवधि में कार्यों का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सकता है।						
क्र. सं.	सामग्री का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रु में) जी.एस.टी. सहित	धरोहर धनराशि 2%	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की आवादी
01	बारातर/बारात शाल निर्माण कार्य	ग्राम पं. उमरी में बारातघर का निर्माण कार्य	25.00 लाख	38297.00	1180.00	6 माह
02	आधुनिक व्यायाम शाला स्थापना कार्य 1. केबिल क्रॉस ओवर मशीन 2. लैट पुल डाउन मशीन 3. लैट पेक/डेक फ्लाई मशीन 4. सीटेंड रोइंग मशीन 5. कर्ल लंग एक्सटेंशन मशीन 6. लेग प्रेस मशीन 7. फ्लैग बेंच 8. इनकलाइन बेंच 9. डेक लाइन बेंच 10. मल्टी एडजस्टेबल बेंच 11. सिपल बेंच 12. एम्पाइड रैंक 13. हेंचो जूट्टी स्टूल 14. लेग राइज मशीन 15. स्ट्रेट बार्बल ईजी बार बेल क्रूल सेट 16.लैट सेट 17. टैपल रैंक 18. क्रबल्स सैंट 19. मैट 20. अन्य	ग्राम पंचायत उमरी में आधुनिक व्यायाम शाला स्थापना कार्य	10.00 लाख	22326.00	1180.00	6 माह

निविदा हेतु शर्तें:-

- निविदा प्रपत्र/कुटेशन के साथ 100 रु0 का स्टाम्प एवं 1 रु0 का रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर राशि (कायम सं॰ 5 पर प्रदर्शित) राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0ओ0 आर0/डाक विभाग की एन0एस0सी0 जो ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत उमरी वि0ख0 मुस्करा-हमीरपुर के नाम बंधक/देय होगा। यह निविदा दिनांक से 160 दिन तक वैध होगा। धरोहर राशि न होने पर कार्य पूर्ण होने तक उतनी धनराशि योगकर भुगतान किया जायेगा।
- निविदादाता आयकर दाता हो तथा वाणिज्य कर कार्यालय में पंजीकृत हो जी0एस0टी0 नम्बर अंकित होगा।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनदेश सं॰ 6738/23.07.2016-176(सां0)/06दिनांक 28.12.2006 के अनुसार दिशा-निर्देशों के क्रम में हो।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- प्रथक-प्रथक कार्य हेतु प्रथक प्रथक निविदा प्रपत्र भरने होंगे।एक कार्य की एक निविदा स्वीकार की जा सके।
- फर्म/सप्लायर कार्य स्थल का भली भांति परीक्षण कर ले निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य प्रभारी/अघोहस्ताक्षरी की मांग के अनुसार की जायेगी जिसके संबंध में कोई दावा मान्य न होगा।
- ग्राम पंचायत/समिति/अघोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा बिना कारण बताये समस्त निविदायें निरस्तर कर सकती है।
- उक्त सामग्री घट या बढ़ सकती है जिस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- शासनदेश सं॰ 730/33-3-2022-11/2022 पंचायतीराज अनुभाग-3 दिनांक 26 अप्रैल 2022 में वर्णित रिश्तेदार निविदादाता नहीं होना चाहिये।
- शासनदेश सं॰ 137/अड़तालीस - 2022-63 नरेंगा/2009 ग्राम्य विकास अनुभाग 7 दिनांक 2103.2022 में वर्णित रिश्तेदार निविदादाता नहीं होना चाहिये।
- प्रत्येक दशा में निविदा प्रपत्र के साथ समस्त सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर संलग्न होना चाहिये।
- निविदादाता अपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिये।

ग्राम प्रशासक ग्राम पंचायत उमरी वि.खं. मुस्करा, हमीरपुर	सचिव ग्राम पंचायत उमरी वि.खं. मुस्करा, हमीरपुर
--	---